# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

**बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)**

**प्रकरण संख्या :—136/2021/दावा/बउनवान/रामकिशन बनाम गीता बाई**

**जीसीएमएस संख्या 2021/201**

1. रामकिशन पुत्र श्री सीताराम सुमन जाति माली निवासी ग्राम भटवाड़ा तहसील मांगरोल जिला बारां राज0

.................वादी

**बनाम**

1. गीता बाई पुत्री सीताराम जाति माली निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल
2. कैलाशबाई पुत्री सीताराम जाति माली निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल
3. मोहनीबाई पुत्री सीताराम जाति माली निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल जिला बारां राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां राज0

.......प्रतिवादीगण

**<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92.आर. टी.एक्ट.</u>**

वकील प्रार्थीगण : श्री अजीत कुमार जैन

वकील अंप्रार्थीगण : एकतरफा

**निर्णय दिनांक : 12.03.2025**

**दायरा दिनांकः 25.11.2021**

**निर्णय**

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

1. यह कि वादी ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल का स्थायी निवासी है जो कृषि कार्य कर अपने परिवार का पालन—पोषण करता है।
2. यह कि वादी के पिता सीताराम उर्फ छीत्या पुत्र दोला के नाम ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां राज० में खाता संख्या 455 की खसर नं0. 1202/0.06, 1408/0.73, 1408/1806 की 0.08., 1414/1807 की 0.15,1415/0.30, 1416/1808 की 0.25, 298/0.04, 299/0.09, 345/0.02, 348/0.04, 854/0.05, 857/0.81, 96/0.74 कुल किता 13 कुल रकबा 3.36 हेक्टयर भूमि ग्राम भटवाडा में स्थित है इसी प्रकार खाता संख्या 1409 की 0.05 हैक्टयर भूमि स्थित है जो पूर्व जमाबंदी में सीताराम पुत्र दोला जाति माली निवासी भटवाड़ा के नाम दर्ज है।
3. यह कि सीताराम पुत्र दोला का स्वर्गवास दिनांक 18.03.2018 को हो चुका है लेकिन सीताराम पुत्र दौला का स्वर्गवास होने के बाद पटवारी हलका द्वारा बिना जांच किये इतकाल नं. 1393 व 1338 से प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि खातेदार सीताराम उर्फ छीत्या ने वादी के नाम एक वसीयत दिनांक 14.03.2017 को रूबरू गवाहान लिखवाकर वादी को सुपुर्द कर रखी थी कि मेरी मृत्यु उपरांत उपरोक्त खाता संख्या 455 नया, पुराना 438 की कुल किता 13 कुल रकबा 3.36 हैक्टयर ग्राम भटवाडा में स्थित भूमियां का मालिक व स्वामी वादी ही होगा तथा मृत्यु उपरांत मेरी

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

पुत्रियों का कोई हक व हिस्सा नही होगा क्योंकि मैंने मेरी पुत्रियों का मुताबिक हैसियत विवाह कर दिया है तथा उक्त वसीयत के माध्यम से उक्त सम्पत्ति को लेकर वादी से कोई झगडा–फसाद न करें तथा उक्त वसीयत के माध्यम से उपरोक्त भूमियां वादी अपने नाम दर्ज करवा सके इसलिए वादी उक्त भूमियों को अपने नाम वसीयतनामा के मुताबिक अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी तथा नालिशी है।

4. यह कि पटवारी हलका द्वारा जो इंतकाल नं0. 1338 व 1393 दिनांक 18.09.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत भटवाडा की बैठक में 20.09.2019 को जो स्वीकृत कर खोला गया है वह बिना जांच पडताल के खोला गया है इसलिए उक्त इंतकाल नं0. 1393 व इतकाल नं0. 1338 मुताबिक वसीयत वादी के नाम दर्ज किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि इंतकाल नं0. 1393 दिनांक 18.09.2019 व इतकाल नं0. 1338 जो पंचायत ने तस्दीक कर स्वीकृत किया है व बिना जांच पडताल के किया गया है, इसलिए उक्त इंतकाल निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि उक्त वसीयतनामा दिनांक 14.03.2017 के मुताबिक उपरोक्त भूमियां वादीगण के ही नाम दर्ज होनी थी क्योंकि प्रतिवादी का इसमें किसी भी प्रकार का मुताबिक वसीयत हक व हिस्सा नहीं बनता है इसलिए वादीगण उक्त इतकाल नं को निरस्त करवाये जाने का पूर्ण अधिकारी तथा नालिशी है।

6. यह कि वादी को प्रतिवादीगण से उक्त कृत्य की जानकारी जब हुई तब उन्होंने अपने नाम दर्ज हुई भूमियों पर कब्जा कर बेचान करने की धमकी दी, तब वादी द्वारा इंतकाल की नकल दिनाक 29.10.2021 को प्राप्त होने के बाद जानकारी में आया कि प्रतिवादीगण ने षडयन्त्रपूर्वक उक्त जमीन अपने नाम दर्ज करवा ली है इस प्रकार वादी को प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य की जानकारी नकल लेने पर प्राप्त हुई तथा उक्त इंतकाल पटवारी हलका द्वारा बिना जांच के खोला गया है जिसे वादी निरस्त करवाने का अधिकारी तथा नालिशी है तथा उपरोक्त भूमियां मद नं0. 2 में वर्णित अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

7. यह कि वादी द्वारा धारा 80 (2) जाप्ता दीवानी का नोटिस राजस्थान सरकार के वैध प्रतिनिधि को दिया जा चुका है लेकिन उन्होंने वादी को कोई सहायता नहीं पहुंचाई, इसलिए वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण पृथक से वाद प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र 80(2) का अलग से संलग्न कर दिया गया है।

8. यह कि उक्त भूमियां प्रतिवादियागण के नाम दर्ज हो जाने के कारण वादी को दिनांक 24.10.2021 को धमकी दी कि उक्त भूमियों को बेचान करके रहेगें तब जाकर वादी को प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य की जानकारी हुई है इसलिए वादी को इस न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

9. यह कि वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा बिना जांच पड़ताल के मिलीभगतपूर्वक अपने नाम इंतकाल खुलवाकर वादग्रस्त भूमियां अपने नाम दर्ज करवाकर जबरन कब्जा कर दिनाक 24.10.2021 को बेचान की धमकी देने के कारण ग्राम भटवाड़ा तहसील मांगरोल में उत्पन्न हुआ।

10. यह कि वादग्रस्त भूमियां ग्राम भटवाड़ा तहसील मांगरोल में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान को वाद सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

11. यह कि वाद का मूंल्याकन लगान का 50 गुना किया जाकर उचित्त न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

प्रार्थना :—

यह कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न डिकी पारित फरमाई जावे :—

(अ) यह कि ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल में स्थित वाद—पत्र की मद नं0. 1 में वर्णित भूमियां खसरा नं0. 455 की किता 13 रकबा 3.36 हेक्टयर व खाता संख्या 114 की कुल किता 1 कुल रकबा 0.05 हैक्टयर में खोला गया इंतकाल नं0. 1393 दिनांक 18.09.2019 व इंतकाल नं0. 1338 को अनुसार वादी का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज करने के आदेश प्रतिवादीगण नं0. 04 को दिये जावे।

(ब) यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वाद—पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमियों में वादी के कब्जे काशत में कोई दखलअंदाजी न तो स्वयं करे व न ही अपने प्रतिनिधियों से करवाये तथा वादी को उक्त भूमियों को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा किसी भी प्रकार से दीगर व्यक्ति को रहन बेचान या मुन्तकिल आदि नहीं करे।

(स) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो भी अदालत उचित समझे, वह नी वादी को प्रदान की जावे।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 25.11.2021 को दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तलवी के ऑनलाईन स्टेटस पेश किए गए। प्रतिवादीगण की विधिवत तलबी हुई है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील वादी द्वारा साक्ष्यवादी में 1. रामकिशन 2. गणपतलाल एवं 3. अमृतलाल के बयान लेखबद्ध किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी द्वारा प्रदर्श 1 साक्ष्य शपथपत्र रामकिशन, प्रदर्श 2 वसीयतनामा, प्रदर्श 3 साक्ष्य शपथ पत्र गणपतलाल, प्रदर्श 4 साक्ष्य शपथ पत्र अमृतलाल, प्रदर्श 5 रजिस्ट्रर्ड नोटिस दिनांक 08.11.2021, प्रदर्श 6 डिलीवरी रसीद, प्रदर्श 7 नकल जमाबन्दी खाता संख्या 114 सम्वत् 2066—2069, प्रदर्श 8 नामान्तरण आदेश, प्रदर्श 9 इकरारनामा गीता बाई, प्रदर्श 10 हकत्याग पत्र कैलाशबाई आदि दस्तावेज न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रदर्श करवाए।

अधिवक्ता वादी ने एकतरफा बहस की। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी के पिता ने वादी के पक्ष में दिनांक 14.03.2017 को एक वसीयत निष्पादित कराई जिसकी असल प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है। वसीयत के दोनों गवाह गणपतलाल एवं अमृतलाल को परीक्षित कराया है जिन्होंने बयानों में वसीयत को सही साबित किया है। वैसे भी वसीयत के बारे में यह सिद्धांत है कि वसीयत का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है, वसीयत को सिद्ध करना आवश्यक है वह भी तब जबकि वसीयत की वैधता को चुनौती दी गई हो। उक्त प्रकरण में वसीयत की वैधता को किसी भी पक्ष के द्वारा चुनौती नहीं दी गई है फिर भी वादी द्वारा अपने एवं वसीयत के गवाहान के बयानों से बसूबी साबित किया है। वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी पर वादी ही काबिज काश्त है। अतः मुताबिक वसीयत वादग्रस्त आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है।

अधिवक्ता वादी ने प्रतिवादी कम 1 गीता बाई द्वारा वादी के पक्ष में हकत्याग करने का इकरारनामे की प्रति पेश की तथा प्रतिवादी कम 2 कैलाशबाई द्वारा वादी के पक्ष में किए गए

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

हकत्याग की प्रति पेश की। वर्तमान खाते की नकल प्रस्तुत की जिसके मुताबिक वसीयत का नामान्तरण खुलने के पश्चात रामकिशन की माता ने ग्राम भटवाडा के खाता संख्या 455 कुल खसरे 13 कुल रकबा 3.36 हे0 में अपने हिस्से की आराजी नाबालिग पवन पुत्र रामकिशन के नाम दानपत्र से हस्तांतरित कर दी थी जिसे यथावत नाबालिग पवन के नाम रखने के आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार किया गया। वसीयत के अनुसार एवं हकत्याग प्रतिवादी कम 1, 2 के अनुसार खाता संख्या 455 की कुल आराजी में से 4/5 हिस्सा वादी को जाना है एवं खाता संख्या 114 खसरा नं. 1409 में वादी को तनहा खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी कम 1, 2, 3 की तलबी के बावजूद वह उपस्थित नहीं है और वसीयत को किसी ने चुनौती भी नहीं दी है। चूंकि वादी अपनी माता द्वारा अपने पुत्र के हक में किए गए दानपत्र से सहमत है इसलिए उसका हिस्सा यथावत् रखा जाता है।

मैंने बहस अधिवक्ता वादी सुनी। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों एवं बयानों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर मनन किया। विधि का यह सुस्थापित तथ्य है कि वसीयत की वैधता को यदि चुनौती नहीं दी गई है तो उसे असंदिग्ध माना जावेगा एवं वसीयत को वसीयत निष्पादन के गवाहान को परीक्षित कराकर सिद्ध किया जा सकता है। वादी द्वारा वसीयत निष्पादन के समय उपस्थित गवाहान को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपने बयानों में वसीयत को बखूबी साबित किया है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

## :: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि वादी रामकिशन को वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां राज० के खाता संख्या 455 की खसरा नं0. 1202/0.06, 1408/0.73, 1408/1806 की 0.08., 1414/1807 की 0.15,1415/0.30, 1416/1808 की 0.25, 298/0.04, 299/0.09, 345/0.02, 348/0.04, 854/0.05, 857/0.81, 96/0.74 कुल किता 13 कुल रकबा 3.36 हैक्टयर आराजी में वसीयत एवं स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर 4/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है शेष 1/5 वादी की सहमति के आधार पर नाबालिग पवन पुत्र रामकिशन के हिस्से में दर्ज रहेगी एवं ग्राम भटवाडा के खाता संख्या 114 खसरा सं0 1409 रकबा 0.05 है0 में वादी रामकिशन को तनहा खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिया जाता है कि ग्राम भटवाडा के खाता संख्या नई 455 पुरानी 438 में से प्रतिवादी कम 1,2,3 का नाम डिलीट कर वादी का नाम 4/5 हिस्से पर दर्ज किया जावे तथा नाबालिग पवन पुत्र रामकिशन का हिस्सा 1/5 यथावत् रखा जावे तथा ग्राम भटवाडा के खाता संख्या 114 खसरा सं0 1409 रकबा 0.05 है0 में वादी को वसीयत के आधार पर तनहा खातेदार घोषित करने के करण सम्पूर्ण खाते में वादी का नाम दर्ज किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्त आशय की डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)**
**उपखण्ड अधिकारी,**
**मांगरोल**

Scanned by CamScanner

**अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई**

( ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी )

(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल

**न्यायालय बइजलास अजंना सहरावत R.A.S उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)**

**प्रकरण संख्या :–136/2021/दावा/बउनवान/रामकिशन बनाम गीता बाई**

**जीसीएमएस संख्या 2021/201**

निर्णय दिनांक :– 12.03.2025

बउनवानः–

1. रामकिशन पुत्र श्री सीताराम सुमन जाति माली निवासी ग्राम भटवाड़ा तहसील मांगरोल जिला बारां राज0

.................वादी

**बनाम**

1. गीता बाई पुत्री सीताराम जाति माली निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल
2. कैलाशबाई पुत्री सीताराम जाति माली निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल
3. मोहनीबाई पुत्री सीताराम जाति माली निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल जिला बारां राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां राज0

.......प्रतिवादीगण

**<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92.आर. टी.एक्ट.</u>**

वकील प्रार्थीगण : श्री अजीत कुमार जैन

वकील अप्रार्थीगण : एकतरफा

वादी के अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.03.2025 को अंजना सहरावत पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते घोषणा पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि वादी रामकिशन को वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां राज० के खाता संख्या 455 की खसरा नं0. 1202/0.06, 1408/0.73, 1408/1806 की 0.08., 1414/1807 की 0.15,1415/0.30, 1416/1808 की 0.25, 298/0.04, 299/0.09, 345/0.02, 348/0.04, 854/0.05, 857/0.81, 96/0.74 कुल किता 13 कुल रकबा 3.36 हैक्टयर आराजी में वसीयत एवं स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर 4/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है शेष 1/5 वादी की सहमति के आधार पर नाबालिग पवन पुत्र रामकिशन के हिस्से में दर्ज रहेगी एवं ग्राम भटवाडा के खाता संख्या 114 खसरा सं0 1409 रकबा 0.05 है0 में वादी रामकिशन को तनहा खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिया जाता है कि ग्राम भटवाडा के खाता संख्या नई 455 पुरानी 438 में से प्रतिवादी कम 1,2,3 का नाम डिलीट कर वादी का नाम 4/5 हिस्से पर दर्ज किया जावे तथा नाबालिग पवन पुत्र रामकिशन का हिस्सा 1/5 यथावत् रखा जावे तथा ग्राम भटवाडा के खाता संख्या 114 खसरा सं0 1409 रकबा 0.05 है0 में वादी को वसीयत के आधार पर तनहा खातेदार घोषित करने के करण सम्पूर्ण खाते में वादी का नाम दर्ज किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। यह आदेश आज दिनांक 12.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

**अंजना सहरावत(आर0ए0एस0)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**मांगरोल**

Scanned by CamScanner